राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : 6(34)त.शि. / 88 पार्ट   जयपुर, दिनांक : 13 अप्रैल, 2016

संयुक्त निदेशक,
आयोजना (जनशक्ति) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– डिप्लोमा में पंजीयन के संबंध में।
संदर्भ :– आपका पत्रांक : निआजशवि / पंजीयन / प–2 / 2010 / 142 दिनांक 20.4.2014

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राज्य में स्थापित निजी यूनिवर्सिटीयों द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता की आवश्यकता नहीं है एवं निजी विश्वविद्यालयों को केवल परिषद के मानदण्डों का अनुसरण करना है। (प्रति सलंग्न)

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा भी निजी विश्वविद्यालयों के डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को लीप कैटेगरी से बी.टेक द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जाता है। निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रम अधिनियम की धारा–38 व धारा (10) में वर्णित प्रावधानानुसार संचालित किये जा रहे है एवं संबंधित विनियामक निकायों के नियमों / परिनियमों / मानदण्डों के अनुसार ही संचालित किये जाते है। अतः विश्वविद्यालयों द्वारा जारी डिप्लोमा मान्य है।

कृपया डिप्लोमा में पंजीयन के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

सलंग्न :– उपरोक्तानुसार।

sd
संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि कुलसचिव, सनराईज़ यूनिवर्सिटी कैम्पस, बग्गड़, राजपूत, तहसील रामगढ़, जिला–अलवर को उनके पत्र क्रमांक एसआरयू / 2015 / 831 दिनांक 28.12.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त सचिव, त.शि.